



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129483

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 14643/2026

रौनक मिश्राआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अतुल कुमार तिवारी, नीरज श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना चीतापुर, जिला वाराणसी में मुकदमा अपराध संख्या 31/2026, अंतर्गत धारा 109(1), 110, 118(2), 191(2) बीएनएस के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सात व्यक्ति नामजद हैं और एक अज्ञात व्यक्ति है। आवेदक और अन्य अभियुक्तों को लोहे की रॉड, स्टंप और चाकू का उपयोग करके पीड़ित पर हमला करने की सामान्य भूमिका दी गई है। हालांकि, ऐसी कोई चोट नहीं है जिसे धारदार हथियार से कारित माना जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान में भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। आवेदक का नौ मामलों का आपराधिक इतिहास है, हालांकि, वह पूर्व अपराधी (दोषसिद्ध) नहीं है। आवेदक के विरुद्ध अब आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और उसके विरुद्ध विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक 11.02.2026 से जेल में है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने पीड़ित पर बर्बरतापूर्वक हमला किया है। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसके दाहिने और बाएं हाथ की उल्टा हड्डी का फ्रैक्चर शामिल है। दाहिने पैर की फाइबुला और टिबिया के स्टायालॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर शामिल है। उसे बाएं पैर की टिबिया के डिस्टल एंड पर और बाएं पैर में चौथी और पांचवीं मेटाटार्सल हड्डियों में फ्रैक्चर पाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीसीटी हेड में, बाएं पैरिएटल बोन में एक डिप्रेस्ड फ्रैक्चर भी पाया गया था जो एक ऐसी चोट थी जो जीवन के लिए खतरनाक थी। सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़ित पर किए गए बर्बर हमले के परिणामस्वरूप एक ऐसा सदमा लगा है जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक, जिसका नौ मामलों का आपराधिक इतिहास है, उसमें अपराध को दोहराने की प्रवृत्ति है और आवेदक द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने तथा गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट सात नामजद अभियुक्तों और एक अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई है। सभी सात नामजद अभियुक्तों में से, पुलिस ने अन्वेषण के दौरान, सर्व श्रीवास्तव और आशुतोष शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया है, जिनका घायल व्यक्ति ने अपने बयान में विशिष्ट रूप से नाम भी लिया था। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान धारदार हथियार की कोई चोट नहीं पाई गई। सिर की चोट, जिसे जीवन के लिए खतरनाक माना गया है, उसके लिए भी आवेदक को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। आवेदक का यद्यपि नौ मामलों का आपराधिक इतिहास है, परंतु वह पूर्व अपराधी (दोषसिद्ध) नहीं है। आपराधिक इतिहास का विवरण जमानत आवेदन के साथ-साथ जमानत आवेदन के साथ संलग्न पूरक शपथ पत्र में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक पूर्व अपराधी नहीं है। आवेदक 11.02.2026 से जेल में है। उसके विरुद्ध आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसके विरुद्ध विचारण निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।
8. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक- रौनक मिश्रा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं धमकाएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
 12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
 13. यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

29 जून, 2026

कृष्णा*

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"